तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/21 (?)	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 20/7/21 को पेश हो।	
20/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० प. दिनांक 7/9/21 को पेश हो।	
7/9/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। जिन्होंने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी०पी०सी० पर एक पक्षीय बहस करते हुए निवेदन किया कि प्र०स० 21/14 उनवान भंवरी बनाम किसना में दिनांक 7/11/2016 को वादिया भंवरी देवी का वाद अदम पैरवी अदम हाजिरी में न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि वादिया के अधिवक्ता ~~दोनों~~ एवं ही वादिया दोनों ही उस दिन उपस्थित नहीं थे। जिसका कारण यह रहा कि वादिया के अधिवक्ता श्री दिलीप ठेकर का चयन राजकीय शारीरिक शिक्षक के (पी०टी०आई०) के रूप में होने से [illegible] वकालात का व्यवसाय [illegible] न्यायालय में आना बन्द कर दिया तथा उन्होंने अपने पक्षकार वादिया भंवरी देवी को इस बात से अवगत नहीं करवाया तथा नहीं उन्हें दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु या स्वयं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:36:32 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य अज

प्र०सं० 2/18

उपस्थित रहने हेतु हिदायत दी इस कारण वादिया भी तारीख पेशियों पर हाजिर अदालत नहीं रही और न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण अदम पैरवी, अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। विवादित जायदाद वादिया की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसको उन्नत व आबाद करने के लिए वह विभाजन कराना चाहती है इस कारण प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अभिकमला प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया, विपक्षीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी प्रार्थी अभिकमला द्वारा प्रार्थिया के न्यायालय में अनुपस्थित रहने का जो कारण बताया गया है वह उचित एवं न्यायसंगत होता है।	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुए।

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 2/14 अनवान संबंधी बनाम बिमना वगैरह को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल प्रकरण संख्या 2/14 अनवान संबंधी बनाम बिमना के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:36:32 IST
Reason: SelfAttested